महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

Ref: MJPRU/2019/5015 **Date:** 4.6.2019

This is to certify that R.B.D. Mahila Mahavidyalaya, Bijnor UP 246701 affiliated to the MJP Rohilkhand University, Bareilly U.P. since the year 1971 currently offering the following courses:-

Sl No	Name of the Course (s) and Duration	Affiliation Permanent Temporary	Period of Validity for Years (S)*
1.	B.A. in Hindi, Sociology, Sanskrit, Urdu, English, Home Sci., Political Sci., Music, Drawing & Painting, Economics, History.	Permanent	
2.	B.A. in Education, Geography, Psychology.	Temporary	
3.	B.C.A	Permanent	
4.	B.Sc. Home Sci.	Permanent	
5.	B.Com	Permanent	
6.	M.A. in Hindi, Sociology, English, Urdu, Drawing & Painting, Home Science, Political Science.	Permanent	
7.	M.Sc. Home Science	Permanent	
8.	B.Ed.	Permanent	
9.	B.El.Ed.	Temporary	
10.	M.Ed.	Temporary	
11.	UG Diploma in Textile Designing	Temporary	
12.	UG Diploma in Interier Designing	Temporary	
13.	PG Diploma in Mass. Com	Temporary	

This certificate is issued to the Principal R.B.D. Mahila Mahavidyalaya, Bijnor 246701 to re-accreditation of the college by NAAC.

Pandey 4/6/19
Registrar
MJP Rohilkhand University,
Bareilly

राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्या-ई.स./ 5390 /जी.एस.
दिनांक 1/10/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र संख्या-रू०वि०/सम्ब/३५(३))/२००४/८५०-६६ दिनांक १३.६.२००४ के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन रानी भाग्यवती महिला महाविद्यालय बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में गृह विज्ञान एवं चित्रकला विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/ सत्तर-२- २००३-१(९२)/ २००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०,१८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक, रानी भाग्यवती महिला महाविद्यालय बिजनौर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

ATTESTED
Principal
R.B.D. Mahila Mahavidyalaya
BIJNOR

राज्यपाल-सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 2043 /जी.एस.
दिनांक: 23/10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांकः रू०वि०/सम्ब०/२००६/८३१६–१८ दिनांक २६–०६–२००६ एवं पत्रांकः रू०वि०/सम्ब०/३६(३)/२००६/११४५३ दिनांक १०–१०–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन आर०बी०डी०कालेज, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उर्दू एवं अँग्रेजी विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१/सत्तर–२–२००३–१६ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक/प्राचार्य, आर०बी०डी०कालेज, बिजनौर।

ATTESTED
Principal
R.B.D. Mahila Mahavidyalaya
BIJNOR.

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

(15)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ– 227132

संख्या–ई.ए. 1779 / जी.एस.
दिनांक: 04 / 10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांक: रू०वि० / सम्ब० / २००६ / ८३०१–०३ दिनांक २६–६–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के अधीन आर०बी०डी० कालेज, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकायान्तर्गत राजनीतिशास्त्र विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

१– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (५२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३– प्रबन्धक / प्राचार्य, आर०बी०डी० कालेज, बिजनौर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

ATTESTED
Principal
R.B.D. Mahila Mahavidyalaya
BIJNOR

Attested
Principal
R.B.D. College
BIJNOR

ATTESTED
Principal
R.B.D. Mahila Mahavidyalaya
BIJNOR

0581-2527363
0581-2527407
0581-2521467

57

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब0/03/एफ-25/2012/78047-54

दिनांक:- 24.08.2012

सेवा मे,

प्रबन्धक,
रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय,
बिजनौर।

विषयः- संस्था रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में कक्षा संचालन अनुमति सत्र 2011-12 से प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सम्ब0 35/सत्तर-2-2011-2(394)/2010 दिनांक 07 जुलाई, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संस्था रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को परीक्षाफल घोषित हो जाने पर सत्र 2011-12 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति को सम्बद्धता (स्थायी) की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गयी है, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या रू0वि0/सम्ब0/03/एफ-25/2012, दिनांक 17.07.2012 में टंकण त्रुटिवश "स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी.एड (100 सीट) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिनांक 01.07.2011 से शर्तों के अधीन आगामी तीन वर्षों हेतु प्रदान की गयी है" का उल्लेख कर दिया गया है। अतः उक्त के स्थान पर "स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी.एड (100 सीट) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिनांक 01.07.2011 से शर्तों के अधीन कुलपति महोदय ने सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान करने की कृपा की है" पढ़ा जाय।

V. Imp
Mr. Munindra Singh
Keep it in file
25/8/2012

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वित्त अधिकारी
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
3. निजी सचिव कुलपति।
4. प्रभारी कम्प्यूटर।

कुलसचिव

संख्या-सम्ब0-437/सत्तर-2-2014-2(437)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
एम0जे0पी0 रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 जून, 2014

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: रू0वि0/सम्ब0/2014/27-28 दिनांक 29.4.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन, दिनांक 01.7.2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) प्रश्नगत संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए, उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

(3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

-2-

for Karan Singh
to keep in file
4 Photo state कराकर Shri Tofeek
Self Finance में
को दें।
[signature]

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/सम्बद्धता/2015/ 5000–08 दिनांकः 10.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यला,
बिजनौर।

विषयः **रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0सी0ए0 विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2015 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था **रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर** को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2015 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्द्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

(ए.के. सिंह)
कुलसचिव

श्री चन्द्रपाल सिंह
फाइल में लगाएं।
9.6.15

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः रू0वि0/सम्बद्धता/2015/5009–17 दिनांकः 10.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यला,
बिजनौर।

विषयः **रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत एम0एससी0 (गृहविज्ञान) विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में ।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2015 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था **रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर** को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत एम0एससी0(गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति तथा अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

(ए.के. सिंह)
कुलसचिव

श्री चन्द्रपाल सिंह
फाइल में लगाएं।
9.6.15

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक: रू0वि0/सम्बद्धता/2017/ 1671-70 दिनांक: 30.05.2

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय,
बिजनौर।

विषय: रानी भाग्यवती देवी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0अति0विषय:-भूगं मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र पाठ्यक्रम/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) ; उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति बैठक दिनांक 30.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में **रानी भाग्यवती देवी स्नातको महिला महाविद्यालय, बिजनौर** को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0अति0विषय:-भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र प्रत्येक विषय एक-एक सेक्शन(अधिकतम 60 छात्र प्रति सेक्शन) पाठ्यक्रम/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति व अनुमो वांछित रहते दिनांक 01.07.2017 से तीन वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन् के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक : में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश र 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चि किया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारि शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 197 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव व इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाए है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नह दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
5. कक्षा संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हे स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. वित्त अधिकारी, एम0जे0पी0रू0वि0, बरेली।
04. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
05. निजी सचिव, कुलपति ।
06. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
07. श्री रविन्द्र गौतम, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
08. परीक्षा नियंत्रक।/उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु ।

डॉ0(एस0एल0 मौर्य)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY,

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/ 2525-34 दिनांक: 10.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय,
बिजनौर।

विषयः रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एल0एड0 01 यूनिट 50 सीट पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2018 को आहूत की गयी। एन.सी.टी.ई. के पत्र संख्या 187571 दिनांक 19 जनवरी नवम्बर, 2018 की संस्तुति के आलोक में एवं सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर स्नातक स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत बी0एल0एड0 01 यूनिट 50 सीट पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2018 से चार वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। उक्त कमियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंरचनाओं का निर्माण भूकम रोधी कराया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY,

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/24195-04 दिनांक: 10.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय,
बिजनौर।

विषयः रानी भाग्यती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत एम0एड0 01 यूनिट 50 सीट पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2018 को आहूत की गयी। एन.सी.टी.ई. के पत्र संख्या 184115 दिनांक 03 नवम्ब, 2017 की संस्तुति के आलोक में एवं सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **रानी भाग्यती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर** स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा संकायान्तर्गत एम0एड0 01 यूनिट 50 सीट पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन वांछित रहते दिनांक 01.07.2018 से दो वर्ष हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है। उक्त कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नहीं किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लैप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंरचनाओं का निर्माण भूकम रोधी कराया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY,

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. /2018/9145-54 दिनांक: 10.05.2018

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय,
बिजनौर।

विषयः रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में अग्रेत्तर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब–1145/सत्तर–2–2014–16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 10.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था **रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर** को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकायान्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से अग्रेत्तर सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त कमियों/शर्तो की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/समबद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाये एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यो में नही किया जायेगा एवं संस्था परिसर को रैगिंग से मुक्त रखेगी।
07. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों व व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र अंकित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित हैं।
08. विधि पाठ्यक्रम में बी.सी.आई. से अनापत्ति उपरान्त विश्वविद्यालय से अनुमति के बाद ही छात्रों को प्रवेश दिया जाये।
09. विधि पाठ्यक्रमों मे बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित तिथि के दृष्टिगत कार्य–परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्बद्धता पत्र निर्गत किया जाये एवं आगामी कार्य परिषद की बैठक में माननीय सदस्यों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये।
10. सभी महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु स्लेप का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।
11. महाविद्यालय को प्रत्येक वर्ष AISHE का DCF-II का फार्म अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या 332/सत्तर–3–2018 दिनांक 26 फरवरी, 2018 के अनुसार महाविद्यालय भवन तथा अन्य अधिसंरचनाओं का निर्माण भूकम रोधी कराया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

दूरभाष : 73541, 737
73281

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 001 (भ
BAREILLY - 243 001 (IN

Ref. No............ Dated...............

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली

(प्रतिलिपि)

संख्या ई-1980/जी०ए०
लखनऊ-227 | 32 दिनांक अप्रैल 25, 1991

प्रेषक,
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश

सेवा में,

कुलसचिव,
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली ।

महोदय,

संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, शिक्षा (11) अनुभाग को सम्बोधि आपके पत्र संख्या र०वि०/सम्ब०/सी०-आर०बी०डी०/91/2415-16, दिन 23 जनवरी, 1991 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, की धारा 37(2) के अधीन रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्याल बिजनौर को स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी एवं समाजशास्त्र विषयों दिनांक 1/7/1991 से स्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी

भवदीय,
ह०/-
(घनश्याम पाण्डेय)
श्री राज्यपाल के विधिक परामर्शदात
प्रभारी, संयुक्त सचिव

x x x x x x x x x

पत्रांक: र०वि०/सम्ब०/सी-आर०बी०डी०/91/3600 दिनांक: 30/4/19

उपर्युक्त प्रतिलिपि प्राचार्य, रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित ।

कुलसचिव

प्राचार्य
आर० बी० डी० डिग्री कालेज
बिजनौर

आगरा विश्वविद्यालय

प्रतिलिपि पत्र संख्या 6772/जी0एस0 दिनांक अप्रैल 16, 1975 , सचिव कुलाधिपति , उत्तर प्रदेश के द्वारा कुलसचिव, आगरा विश्वविद्यालय, आगरा को प्रेषित ।

=====

आपके पत्र सं0 एफिल/ 2769 दिनांक 22 फरवरी, 1975 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि कुलाधिपति, उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 37(2) के अन्तर्गत रानी भाग्यवती महिला महाविद्यालय, बिजनौर , को बी0ए0 के लिए सामान्य अंग्रेजी , हिन्दी, समाज शास्त्र और संस्कृत विषयों में स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के आपके प्रस्ताव को सहर्ष मंजूरी प्रदान करते है ।

==

True Copy

Asst. Registrar (Affl.)
Agra University, AGRA

Principal
Rani Bhagwati Devi Mahila P.G. Mahavidyalaya
BIJNOR

S.T.D. 05
527263, 5
527282, 5

म. ज्यो. फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
M. J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 006
BAREILLY - 243 00

Dated 19.7.

रू. वि./सम्ब./2002/
Ref No.....

प्राचार्य
आर. बी. डी. कालेज, बिजनौर

विषय : पी. जी. डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन तथा पी. जी. डिप्लोमा इ
टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनजमेंट की कक्षायें जुलाई, 2002 से चलाने की अ
करना।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 1216 दिनांक 11.7.02 का संदर्भ ग्रहण
कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तुत प
डिप्लोमा इन मास कम्यूनिकेशन, जर्नलिज्म एण्ड मीडिया टेक्निक्स तथा पी. जी. डिप
टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की अनुमति विषयक प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वा
निरीक्षण दल की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए आपकी संस्था को उक्त पाठ्यक्रमों
छात्र प्रति पाठ्यक्रम को दर से प्रवेश की अनुमति कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याश
कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है :

1. उक्त पाठ्यक्रम हेतु अर्ह शिक्षकों की नियुक्ति एक माह के अन्दर कर, नियुक्
की सूचना नियुक्ति पत्र सहित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप छा
करेंगे एवं प्रवेशित छात्रों की संख्या के आधार पर रू. 500/- प्रति छात्र क
विश्वविद्यालय में जमा करेंगे जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगशाला अन्य पाठ्यक्रमों से पृथक सभी आवश्यक उ
सुसज्जित की जायेगी।

एस.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
1. उप-कुलसचिव (गोपनीय/एकेडेमिक)
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
3. प्रभारी अर्जित गोपनीय/समिति विभाग

S.T.D. 0581
☎ 527263, 527
527282, 527

म. ज्यो. फु. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
M. J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली – 243 006 (भ
BAREILLY - 243 006 (IN

Ref. No. रू. लि./सम्ब./2002/ 626-30 Dated 7.9.200

प्राचार्य
आर.बी.डी. कालेज,
बिजनौर

महोदया,

कृपया अपने पत्र दिनांक 28.8.02 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र के तारतम्य में आपको अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तुत डिप
इन टैक्सटाइल डिजाइनिंग एवं डिप्लोमा इन इन्टीरियर डिजाइनिंग पाठ्यक्रम की अनुमति
प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हु
संस्था को उक्त पाठ्यक्रमों में 20-20 छात्राओं के प्रवेश की अनुमति कार्यपरिषद की स्व
प्रत्याशा में कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की गयी है :

1. उक्त पाठ्यक्रमों हेतु अर्ह शिक्षकों की नियुक्ति एक माह के अन्दर कर, नियुक्त की सूचना नियुक्ति पत्र सहित विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी एवं अनुमोदन किया जायेगा।
2. उक्त पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक अनुरूप छात्रों करेंगे एवं प्रवेशित छात्रों की संख्या के आधार पर रू. 500/- प्रति छात्र की द विश्वविद्यालय में जमा करेंगे जो परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त होगा।
3. उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगशाला अन्य पाठ्यक्रमों से पृथक भी आवश्यक उपकरण सुसज्जित की जायेंगी।

O/S
to file
12/9/02

भवदी
(एस.सी.श
कुलस

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :
1. उप-कुलसचिव (गोपनीय/एकेडेमिक)
2. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
3. प्रभारी अति गोपनीय

Seen
13/9/02

कुलस